न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 18/2022 प्रार्थना पत्र स्थगन

1. चांदी देवी पत्नी भैरूलाल गाडरी निवासी भादू, तहसील माण्डल –प्रार्थी	बनाम	1. बक्षु पुत्र स्व. रूपाजी गाडरी निवासी पांसल जिला भीलवाडा व अन्य – विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् स्थगन

उपस्थित –

1. श्री मनीष कांटिया अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

दिनांक 06.06.2022

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पांसल तहसील भीलवाडा में आराजी संख्या 1704, 1705, 1706, 1717 किता 04 रकबा 08 बीघा भूमि स्थित हैं, जिसमें अपीलार्थीया का जन्म से ही हक हिस्सा निहित हैं। अपीलार्थीया व रेस्पोडेण्ट के पारिवारिक सजरे अनुसार गोकुल गाडरी के 2 पुत्र भैरू व रूपा एवं एक पुत्री चांदी का जन्म हुआ व पत्नी नानी देवी थी। भैरू व रूपा का देहान्त हो चुका हैं। रूपा के पुत्र प्रतिवादी संख्या 01 व भैरू के 3 पुत्रियां प्रतिवादी संख्या 2,3,4 हैं। अपीलार्थीया चांदी की जाईन्दा पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस व उत्तराधिकारी हैं, नानी का देहान्त हो चुका हैं। उक्त नामान्तरकरण प्रतिवादियों के नाम पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीया को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया, जिससे अपीलार्थीया अपना पक्ष नही रख पायी। अपीलार्थीया अनपढ महिला हैं। रेस्पोडेण्टगण द्वारा अपीलार्थीया को उसके हक अधिकारों से महरूम करने की धमकी देने पर अपीलार्थीगण को नामान्तरकरण की प्रतियां मिलने पर उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हुयी। रेस्पोडेण्टगण उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर उक्त भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को रहन, बक्षीस, विक्रय या अन्य

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी कराया जाये कि ग्राम पांसल तहसील भीलवाडा की आराजी संख्या 1704, 1705, 1706, 1717 किता 04 रकबा 08 बीघा भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने आदेश प्रदान करें।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि ग्राम पांसल तहसील भीलवाडा की आराजी संख्या 1704, 1705, 1706, 1717 किता 04 रकबा 08 बीघा भूमि का नामान्तरकरण विरासत से प्रतिवादीगणों के नाम दर्ज किया गया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदार गोकुल के समस्त वारिसानों की जांच परख नही करके एवं सभी वारिसानों को सुनवायी का पूर्ण अवसर दिये बिना ही उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण पारित किया जाना प्रथम दृष्टया दृष्टिगोचर प्रतीत होता हैं। प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थीया का अंगूठा निशानी होने से जाहिर होता हैं कि अपीलार्थीया अनपढ हैं। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला बनता हैं, एवं सुविधा संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में हैं। अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीया के पक्ष में बनता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रार्थीया का अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। विपक्षीगणों को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक तक ग्राम पांसल तहसील भीलवाडा की आराजी संख्या 1704, 1705, 1706, 1717 किता 04 रकबा 08 बीघा भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे। पत्रावली मूल अपील प्रकरण के साथ सुनवायी हेतु दिनांक 22.06.2022 को पेश हो।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा